राजस्थान सरकार

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांक एफ1(1)( )/स्था/सान्याअवि/2024/2439 जयपुर दिनांकः– 27-05-2024

## कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा– 2021 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(1)कार्मिक/क–4/2/2021 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप ''ए'' जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा समकक्ष के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार L-12 में देय स्थिर पारिश्रमिक राशि 31100/– वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

| S. NO. | MERIT NO. | ROLL NO. | NAME | DOB | CATEGORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 276 | 905256 | RAMNARAYAN BISHNOI | 04-01-1994 | BC |
| 2. | 279 | 911734 | DIWAKAR JAIN | 09-12-1994 | GE |
| 3. | 284 | 919877 | SHUBHAM NAGAR | 22-05-1995 | GE |
| 4. | 286 | 912510 | PANKAJ PACHAR | 10-08-1995 | BC |
| 5. | 295 | 917402 | PARMAR SURAJ | 15-02-1997 | BC |
| 6. | 311 | 918384 | RAMBHROSH SARAN | 16-03-1994 | BC |
| 7. | 317 | 909058 | JYOTI YADAV | 16-08-1998 | BC,WE |
| 8. | 321 | 903582 | BABALU | 05-07-1990 | GE,NG,RG,EWS |
| 9. | 340 | 910047 | ISHA AGARWAL | 05-05-2000 | GE,WE |
| 10. | 348 | 906942 | RENU KHAIRWA | 11-02-1999 | BC,WE |
| 11. | 406 | 917215 | RAKSHITA KAVIRAJ | 04-01-1997 | BC,WE |
| 12. | 738 | 909822 | DEVENDRA SINGH JANGAL | 01-01-1996 | MB |
| 13. | 1306 | 903276 | SANJAY KUMAR MEENA | 01-07-1993 | ST |
| 14. | 1566 | 918269 | BABU LAL | 11-05-1990 | SC,RG |
| 15. | 1636 | 906353 | SATYENDRA PAL VEER | 14-07-1987 | BC,EX |
| 16. | 1673 | 909255 | LAXMAN SINGH | 10-07-1985 | GE,EX |

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:–

1. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त सेवा आवंटन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (सीधी भर्ती द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) नियम 1999 के नियम 20 के अन्तर्गत किया गया है। सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये गये सेवा प्राथमिकता क्रम के अनुसार कार्मिक विभाग के पत्रांक प.9(1)डीओपी/क–4/2021 दि. 21.05.2024 द्वारा आवंटित किये जाने पर नियुक्ति दी जा रही है।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15 (1) वित्त/नियम/2017 दि. 30.10.2017 (सिडूल–4/रूल्स 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान

7527219

राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। उक्त नियुक्ति आदेश आर.ए.एस. परीक्षा–2021 के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यधीन रहेगा।

4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दि. 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'ए' जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा समकक्ष के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
8. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुये इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण–पत्र/पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

RajKaj Ref
7527219

13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनकी नियुक्ति चरित्र/पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्ययधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दि. 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् 02 से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

15. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

16. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

**क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2024/2550-2590 जयपुर दिनांकः– 27-05-2024**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क–4/2) शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5. आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
8. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.................................. ।
9. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री ...................................... ।
11. व्यक्तिगत पत्रावली।
12. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

**RajKaj Ref 7527219**

Document certified by GHANENDRA BHAN CHATURVEDI <STOICJPR@YAHOO.CO.IN>.

Digitally Signed by Ghanendra Bhan Chaturvedi
Designation : Director
Date :27-05-2024 05:26:07